

11-11-25

हम इस प्रकार
में कोई कार्यवाही
नहीं चालते हैं।

जयलक्ष्मी

दीपक

श्री ०८
बि

NH

वकील प्राथीगप के निवेदन से पञ्जाबली सिमेंट से तलब
की गई। वकील प्राथीगप को बताया कि उक्त प्रकरण में
विपक्षीगप के विकट आगे कोई कार्यवाही नहीं चालते हैं।
प्रकरण इसी स्तर पर ड्रॉप फरमाया जावे। वकील प्राथीगप
उक्त प्रकरण में विपक्षीगप के विकट आगे कोई कार्यवाही
नहीं चालते से प्रकरण इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाव है
तथा फ्लॉक 2-5-22 को जारी अस्बार्ड निवेदनला भी
स्वारीज की जाती है। पञ्जाबली फौजल शुमान एकर नम्बर
से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला-मीलवाड़ा